10/13/23, 1:24 PM about:blank

The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2023

(Amendment of sections 2 and 3)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 128, Dr. Shrikant Eknath Shinde.

13.06 hrs

about:blank 1/1